Formulation of Sixth Five Year Plan

5045. SHRI PRASANNBHAI MEHTA:

DR. HENRY AUSTIN:

SHRI C. K. CHANDRAPPAN:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the newly constituted Planning Commission held its first meeting in July, 1977 to discuss the formulation of the Sixth Five Year Plan;

(b) if so, the main points or schemes on which greater emphasis will be laid; and

(c) when the Sixth Five Year Plan is likely to be given the final shape?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) In the Sixth Five Year Plan, highest priority will be given to agricultural and rural development programmes. It is noted that a very large irrigation Plan would be needed to achieve a significantly higher rate of growth in agriculture than in the past. The role of small and cottage industries in providing employment would be emphasised much more than hitherto. The broad thrust of the Plan strategy would be to extend the scope of area planning and maximise the employment content of area development schemes. A substantial part of the population, which is at present below the poverty line, would have to be provided not only food, clothing and shelter but also the very basic requirements of social services within the Plan period. The Plan will also take into account the need to reduce the existing disparities in income and wealth.

(c) According to the programme of work and time schedule approved by the Planning Commission, the approach to the Sixth Plan would be ready for public discussion by March, 1978.

इलाहाबाद में स्थायी दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

5046. **श्रीमती कमला बहुगुणा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुम्भ मेले के दौरान इलाहाबाद में खोले गए अस्थायी दूरदर्शन केन्द्र को स्थायी बनाने का है जैसा कि उस वक्त ऐसी आम चर्चा थी ; और

(ख) नए दूरदर्शन केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार किस आधार और मानदण्ड को अपनाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) : जी नहीं ।

(ख) नए दूरदर्शन केन्द्रों के स्थापित करने का आधार तथा मानदण्ड तकनीकी संभाव्यता और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप यथासंभव देश के अधिक से अधिक क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना होगा ।

पाताखेड़ा कोयला खान के श्रमिकों की छंटनी

5047. **श्री सुभाष आहूजा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैस्टर्न कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत बेतूल जिले में पाताखेड़ा कोयला खान के कितने श्रमिकों को आपात स्थिति के दौरान काम से निकाला गया था;

(ख) कितने श्रमिकों को अभी तक काम पर नहीं लिया गया है; और

(ग) क्या सरकार इन श्रमिकों को वापिस नौकरी पर लिए जाने के लिए उक्त कम्पनी को आदेश देगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन्) : (क) से (ग) : आपात काल के दौरान पाताखेड़ा कोयला खान के किसी भी नियमित कामगार को सेवा से हटाया नहीं गया । पाताखेड़ा खान में अन्य खानों को भांति ही अस्थाई कामगारों को विशेष जरूरत होने पर ले लिया जाता है और जरूरत न रहने पर उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, परन्तु पांच नियमित कर्मचारियों की सेवाएं नियमानुसार जांच के दौरान कदाचार के आरोप सिद्ध हो जाने पर समाप्त कर दी गई थीं । चूंकि इनके मामले अनुशासन से सम्बद्ध थे इसलिए इन व्यक्तियों को बहाल नहीं किया गया है ।

अन्तरिक्ष विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

5048. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **अन्तरिक्ष** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष विभाग में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी काम कर रहे है; और

(ख) सरकार का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों को भरने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 30-6-1977 को स्थिति के अनुसार, अन्तरिक्ष विभाग में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह 'क' .	4	—
समूह 'ख'	7	1
समूह 'ग'	193	25
समूह 'घ' .	252	25
जोड़ .	456	51

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण तथा उनकी भर्ती से सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया जाता रहेगा ।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

5049. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मन्त्रालय में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) उक्त जाति के व्यक्तियों का आरक्षित कोटा पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) विवरण संलग्न ।।

(ख) विभिन्न संगठित सेवाओं, अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय और अखिल भारतीय सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों के पद भरती करने वाली एजेंसियों द्वारा भरे जाते हैं और उनके द्वारा अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है ।